

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

शरीर लेगा है।

आतः एतत् प्र सं. एतत् 2/2 R.T. 44 -
 एकीकरण किया जाकर निपटीकरण को जसिये
 अस्थायी विधेयावा से कूल बाद के अंतिम
 विस्तारण तक पारबंद करने हुए इनादेश
 दिये जाते हैं कि मौके व रेकोर्ड की यथास्थिति
 कायम रखी जावे एवं मौजा सारण जूह
 मौजीपुला तह केंद्रों से वैतुक सहदायिनी
 स्वाधित्व व आधिपत्य की छुट्टि आरजियात
 (घाशियमाण एवं निपटीकरण संख्या -) के रिता
 फाजा रिता नवदा जी मौजा के नाम एवं रेकोर्ड
 खता संख्या 138 की आ. सं. 12, 15 कुव
 रकबा 0.4900 है, खता संख्या 09 की आ
 सं. 423/231 रकबा 0.8600 है, खता संख्या
 32 से आ संख्या 17 रकबा 0.0600 है तथा
 मौजा हौलतपुला प सं करविधान तह केंद्रों
 की छुट्टि आरजियात जो कि घाशियमाण एवं
 निपटी संख्या - 1 के वैतुक सहदायिनी स्वाधित्व
 एवं आधिपत्य की छुट्टि श्रुति खता संख्या
 12 की आ. सं. 147, 148, 163, 164, 166 रिता
 5 कुल रकबा 1.9350 है, खता संख्या
 24 की आ. सं. 109 रकबा 0.8890 है
 क्षम में कूल बाद के अंतिम विस्तारण
 तक मौके व रेकोर्ड की यथास्थिति कायम
 रखते हुए इसमें किसी प्रकार की
 देखाबंदगी नहीं की जावे। एतावती
 फासल हुमाद लेकर नंतर से कम लेकर
 कार्वेल दफतर से।

सहायक कमिश्नर
 (सप्लाय अधिशासी)
 जे. (पि. ए. ए. ए.)